बिहार सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, नवादा।

निविदा संख्या– 05 / Nawada / 2026–27

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा।
2. निविदा आमंत्रित करने की तिथि :–दिनांक 22.10.2026
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय :–दिनांक 12.11.2026 को अपराहन 1:00 बजे तक.
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :–दिनांक 13.11.2026 को अपराहन 3:00 बजे तक.
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :–दिनांक 13.11.2026 को अपराहन 3:30बजे
6. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :–(क) कार्यपालक अभियंता का कार्यालय भवन प्रमंडल, नवादा
   (ख) सहायक अभियंताका कार्यालय भवन अवर प्र0सं0–1, एवं 2, नवादा।
   (ग) अधीक्षण अभियंता का कार्यालय भवन अंचल गयाजी।
7. निविदा प्राप्ति एवं खुलने का स्थान क्रमांक 6 के अनुसार।

8. कार्य विवरणी:–

क0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)	अग्रधन राशि (रूपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	Raising of Boundary wall Height with GS Sheet and campus development at Family judge residence E-6 Nawada dist Nawada for the year 2026-27	12,86,300/-	25,800/-	2500/-	03 माह
2	Construction of rest boundary wall with fencing wire for North and East ourter perimeter wall of mandal Kara Nawada	13,74,700/-	27,500/-	2500/-	03 माह
3	Provision of wire mess in window in Karpuri Thakur Hostel Nawada at Dist Nawada	8,00,000/-	16,000/-	1250/-	03 माह

9. चतुर्थ श्रेणी में निबंधित संवेदक ही निविदा हेतु सक्षम होंगे।
10. सभी संवेदको / निविदाकारों को परिमाण विपत्र क्रय हेतु परिमाण के मूल्य के समतुल्य राशि का चालान On-line अर्थात O-GRAS के माध्यम से कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल नवादा के पदनाम से भुगतेय हो, जमा करना होगा अन्य किसी माध्यम के द्वारा परिमाण के मूल्य के समतुल्य की राशि स्वीकार नही किया जायेगा। परिमाण विपत्र का मूल्य लौटाया नहीं जायेगा।
11. कार्य की प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि परिमाण विपत्र के अनुसार ही देय होगा। अग्रधन की राशि निम्न रूप में स्वीकार होगा।
(क) पाँच वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र एवं तीन वर्षीय / पाँच वर्षीय Term Deposit जो बिहार राज्य के अन्तर्गत निर्गत हो।
(ख) F.D.R of Nationalized / Schedule Bank within the state of Bihar
(ग) बिहार सरकार द्वारा मान्य एवं बिहार लोक निर्माण संहिता में वर्णित अन्य प्रतिभुतियाँ।
(घ) अग्रधन की राशि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा के नाम से प्रतिज्ञिप्त (Pledged) कराना अनिवार्य होगा।
12. मुहरबंद लिफाफे में निविदा के साथ संवेदक का अधतन निबंधन प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण पत्र (पैन), जी0एस0टी0 नं0, की स्व–अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र, कार्य लंबित न रहने संबंधी शपथ पत्र एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
13. अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विषेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–भवन / अभि0प्र0(यो0)–02–विविध 06 / 07–13407(भ0)अनु0 / भ0नि0वि0 के कंडिका (8) डिफेक्ट लाईबिलिटि पीरियड मौलिक कार्य के लिए 03 वर्ष एवं मरम्मति कार्य हेतु 01 वर्ष का होगा।
14. निविदा की अन्य विषेष शर्त निविदा पत्र के साथ संलग्न होगा जो निविदाकारों को मान्य होगा, परिमाण विपत्र के साथ संलग्न होगा, लोक निर्माण संहिता एवं सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार किया जायेगा, जो निविदाकारों को मान्य होगा।
15. सशर्त अथवा अस्पष्ट निविदा अमान्य होगा।
16. बिना कारण बताये निविदा को रद्द / स्थगित करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
17. भवन निर्माण विभाग के ज्ञापांक – भवन / 12–अभि0प्र0(यो0)–02– विविध– 11 / 2026.. 9803 (भ) दिनांक 15.10.2026 द्वारा जारी निदेश "परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदाये अमान्य मानी जाएगी।" परिमाण विपत्र की दर से नीचे निविदित दर दिये जाने की स्थिति में अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) लेने का निम्नांकित प्रावधान किया जाता है।
(क) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 % अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति एक प्रतिशत उद्धृत दर के लिए ली जायगी।

Scanned with CamScanner

(ख) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 10 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 % अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति एक प्रतिशत उद्धृत दर के लिए ली जायगी।

18. विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध रहने पर ही कराये गये कार्य का भुगतान किया जायेगा।
19. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी से उनके कार्यालय में कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
20. एफ 2 (F_2) एकरारनामा का क्लाउज 23 विलोपित माना जायेगा।
21. निर्माण सामग्री तथा सिमेन्ट, लोहे की आपूर्ति विभाग द्वारा नहीं की जायेगी परन्तु मानक के आधार पर निर्धारित मात्रा ही अपेक्षित है।
22. निविदा कागजात में दिये जाने वाले अपने दर को अंक तथा शब्दों में अंकित किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
23. डिबार अथवा कालीकृत संवेदको के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। वैसे संवेदक जिन पर किसी कारणवश पूर्व से आवंटित योजना का कार्य लंबित है/जो आवंटित किये गये कार्य का एकरारनामा नही किये है या कार्य शुरू नही किये है। निविदा में भाग लेने के पात्र नही होगे।
24. परिमाण विपत्र प्राप्त करने हेतु संवेदक स्वयं आये। प्राधिकृत व्यक्ति की स्थिति में कागजात मूल में साथ भेजा जाय अन्यथा पत्र मान्य नहीं होगा।
25. कार्य की महत्ता को देखते हुए उक्त कार्य, कार्यादेश प्राप्ति के साथ प्रारम्भ करना होगा, एवं तय समयसीमा के अंदर पूर्ण करना होगा।
26. निविदा में भाग लेने से पहले कार्य स्थल की जाँच संवेदक स्वंय कर ले, अन्यथा बाद में किसी तरह का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
27 GST act के Section 79 के अनुसार निविदा निर्गत तिथि के पूर्व माह का अद्यतन GST Return की छाया प्रति स्वअभिप्रमाणित कर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
28. निर्माण कार्य में Tata, Sail ,Vizag & Shayam Steel Brand का ही स्टील प्रयोग करेंगें।
27. Pan से Aadhar Link रहना आवश्यक होगा अन्यथा Income Tax विभाग के निर्देशानुसार 20 प्रतिशत Income Tax राशि की कटौती की जायेगी एवं विपत्र भुगतान के पूर्व अद्यतन माह का GST 3B कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा भुगतान की कार्रवाई लंबित रहेंगी।
28. विस्तृत जानकारी के लिए www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

22/10/26

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, नवादा।

22.10.26

ODS

Scanned with CamScanner